"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 139 ] रायपुर, बुधवार, दिनांक 11 अप्रैल 2018 —— चैत्र 21, शक 1940

### आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2018

### अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-29/2008/25-1. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, अधीनस्थ (तृतीय श्रेणी लिपिकीय) सेवा भर्ती नियम, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

### संशोधन

उक्त नियमों की सूची में,-

1. अनुसूची - एक के नीचे, निम्नलिखित टीप जोड़ी जाये, अर्थात् :-

" **टीप** - (1) आयुक्त/संचालक, शीर्षक "विभागाध्यक्ष कार्यालय" के अंतर्गत सरल क्रमांक (1) से (15) में उल्लेखित पदों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी होंगे.

(2) आयुक्त/संचालक, शीर्षक "अधीनस्थ कार्यालय" के अंतर्गत सरल क्रमांक (1) से (7) में उल्लिखित पदों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी होंगे.

(3) संबंधित जिले के कलेक्टर, शीर्षक "अधीनस्थ कार्यालय" के अंतर्गत सरल क्रमांक (9) तथा (10) में उल्लिखित पदों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी होंगे.

2. अनुसूची - एक में, शीर्षक "विभागाध्यक्ष कार्यालय" के अंतर्गत, सरल क्रमांक (11) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| (11) | शीघ्रलेखक ग्रेड-1 | 06 | तृतीय श्रेणी | 9300-34800+ग्रेड वेतन 4400 |
| | छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग का कार्यालय | | | प्रतिनियुक्ति पर |

3. अनुसूची - एक में, शीर्षक "2, अधीनस्थ कार्यालय" के अंतर्गत, -

(एक) सरल क्रमांक (8) में, कॉलम (2) में, प्रविष्टि (ग) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाये; तथा

(दो) सरल क्रमांक (9) में, कॉलम (2) में, प्रविष्टि (ग) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाये.

4. अनुसूची - दो में, शीर्षक "विभागाध्यक्ष कार्यालय" के अंतर्गत सरल क्रमांक (11) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाये.

5. अनुसूची - दो में, शीर्षक "जिला संवर्ग" के अंतर्गत, -

(क) सरल क्रमांक (2) में, कॉलम (3) में, अंक "255" तथा "07" के स्थान पर, अंक "177" प्रतिस्थापित किया जाये;

(ख) सरल क्रमांक (3) में, कॉलम (3) में, अंक "412" के स्थान पर अंक "242" प्रतिस्थापित किया जाये; तथा

(ग) सरल क्रमांक (4) में, कॉलम (3) में, अंक "566" के स्थान पर अंक "311" प्रतिस्थापित किया जाये.

6. अनुसूची - चार में, शीर्षक "विभागाध्यक्ष कार्यालय" के अंतर्गत कॉलम (2) में, सरल क्रमांक 8 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाये.

No. F 1-29/2008/25-1.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendments in the Chhattisgarh Scheduled Tribes and Scheduled Castes Development Department, sub-ordinate (Class-III Ministerial) Service Recruitment Rules, 2013, namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

1. Below Schedule -1, the following Note shall be added, namely :-

"Note - (1) The Commissioner/Director shall be Appointing Authority for the posts mentioned in serial number (1) to (15) under the Heading "Office of the Head of Department".

(2) The Commissioner/Director shall be Appointing Authority for the posts mentioned in serial number (1) to (7) under the Heading " Sub-ordinate offices".

(3) The Colector of the concerned District shall be Appointing Authority for the posts mentioned in serial number (9) and (10) under the Heading " Sub-ordinate offices".

2. In Schedule-I under the Heading "Office of the Head of Department", for serial number (11) and entires relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "(11) | Stenographer Grade-1<br><br>Office of Chhattisgarh State Minority Commission. | 06 | Class-III | 9300-34800+Grade pay 4400<br><br>On deputation" |

3. In Schedule-I, Under Heading " 2, Sub-Ordinate Office",-

   (i) in serial number (8), in column (2), the entry (c) and entries relating there to shall be omitted; and

   (ii) in serial number (9), in column (2), the entry (c) and entries relating there to shall be omitted.

4. In Schedule-II, Under Heading " Head of the Department Office", the serial number (11) and entires relating thereto, shall be omitted.

5. In Schedule-II, Under Heading " District Cadre",-

   (a) in serial number (2), in column (3), for the figure "255" and "07", the figure "177" shall be substituted;

   (b) in serial number (3), in column (3), for the figure "412" the figure "242", shall be substituted; and

   (c) in serial number (4), in column (3), for the figure "566" the figure "311" , shall be substituted.

6. In Schedule-IV, Under Heading " Head of the Department Office", in column (2), serial number 8 and entries relating thereto shall be omitted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.